26/12/17 अपीलान्ट/रेस्पों उपस्थित
पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल
दिनांक 26/03/18 को पेश हो।

अधि० अपीलान्ट/रेस्पों उपस्थित
पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल
दिनांक.................को पेश हो।

26/3/18 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधि० उभयपक्ष उपस्थित।
अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट-2 ने प्रार्थना पत्र बाबत
अपील खारिज किये जाने हेतु प्रस्तुत करते
हुये निवेदन किया कि इस 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम से सम्बन्धित निगरानी
को माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आदेश
दिनांक 10/5/2017 के माध्यम से
निगरानी के अपीलाधीन आदेश दिनांक
07/4/2017 को निरस्त करते हुये गुणावगुण
पर अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण संख्या 16/2017
उनवानी महेश बनाम बापू मे फर्द हुकम
दिनांक 06/4/2017 की पालना मे आगे कार्यवाही
करते हुये निर्णय पारित करने का आदेश
प्रदान किया है। जिससे 225 RTAct की
यह अपील सारहीन हो गई है इसलिये
खारिज फरमाई जावे। इस सदर्भ मे अधि०
रेस्पोंडेन्ट-2 ने माननीय मण्डल के आदेश
दिनांक 10/5/17 की फोटो प्रति प्रस्तुत की।
अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट-2 के कथन
के परिपेक्ष मे माननीय मण्डल के आदेश
दिनांक 10/5/17 एवं पत्रावली का अवलोकन
किया। इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन
यह अपील अधिनस्थ न्यायालय की प्रकरण
सं-16/2017 मे पारित आदेश दिनांक 06/4/17
के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम के पेश हुई है जिसमे
इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 07/4/2017

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	महेश / नाथू 203/2017	

के माध्यम से विवादग्रस्त भूमि की मौके की वर्तमान स्थिति यथावत बनाये रखने के आदेश प्रदान किये गये थे, के विरुद्ध माननीय मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई, जिसमे माननीय मण्डल द्वारा आदेश दिनांक 10/5/2017 के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07/4/2017 निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर को आदेशित किया गया कि वे उनके समक्ष विचाराधीन अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण संख्या 16/2017 बउनवानी महेश बनाम नाथू मे फर्द मे फर्द अहकाम दिनांक 06/4/2017 की पालना मे अग्रिम कार्यवाही करते हुये यथाशीघ्र गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का आदेश पारित करते हुये निगरानी निस्तारित कर दी गई। जिससे अब इस अपील का कोई औचित्य ही शेष नही रह गया है। अतः अब यह अपील सारहीन हो गई है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर ~~आमिल~~ बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।